2024/91

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	न[illegible] अहका[illegible] की ता[illegible]
18.10.24	बहुक्म उप०। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखकर सुनाया गया। शा० मि० हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:32:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	निर्णय दिनांक	पीठासीन अधिकारी
95/प्रा0प0/2024	06.06.2024	18.10.2024	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति मीना निवासी चाचोली की झौपड़िया गैण्डोलीखुर्द, तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान

–प्रार्थी

–बनाम–

तहसीलदार, रायथल जिला बून्दी राजस्थान

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम
वास्ते किये जाने पत्थरगढ़ी आराजीयात्

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से एडवोकेट सुश्री कविता कहार।
पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 165 खसरा संख्या 1761 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 1764 रकबा 0.10 है0 भूमि वाके गेण्डोलीखुर्द पटवार हल्का गेण्डोली तहसील रायथल जिला बून्दी में स्थित हैं। प्रार्थी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति हैं और प्रार्थी की भूमि के अड़वे के अन्य खातेदारो द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में लगी मेड, डोल एवं सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया हैं, इस कारण मौके पर विवाद बना रहता हैं और प्रार्थी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। इत्यादि अंकित कर प्रार्थना पत्र विषयक भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, रायथल से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, रायथल द्वारा जरिये पत्र क्रमांक नू0अ0/2024/3387 दिनांक 26.09.2024 से अवगत कराया है कि ग्राम गेण्डोली खुर्द की ऑनलाईन जमाबंदी सम्वत् 2073–76 जमाबंदी 2080 (वर्ष 2023) से स्थायी में खाता संख्या 158 में खसरा नंबर 1761 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 1764 रकबा 0.10 है0 खसरा संख्या 1765 रकबा 0.50 है0 खसरा संख्या 1768 रकबा 0.14 है0 खसरा संख्या 1769 रकबा 0.12 है0 खसरा नंबर 1771 रकबा 0.48 है0 कुल किता 6 रकबा 1.37 है0 में भगवतसिंह उर्फ भगतसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति मीणा सा0 गैण्डोली खुर्द की झौपड़िया खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। जिसमें खसरा संख्या 1761 व 1764 में खातेदार का कब्जा–काश्त नहीं हैं, अन्य व्यक्ति का कब्जा–काश्त होने से कब्जे को लेकर विवाद हैं, कब्जा प्राप्ति हेतु खातेदार द्वारा सक्षम धाराओ में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:32:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि मैं प्रार्थना पत्र विषयक आराजी का रेकार्डेड खातेदार हूँ तथा रेकार्डेड खातेदार के हैसियत से मुझे मेरी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी की भूमि के पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रेकार्ड आराजी 1761 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 1764 रकबा 0.10 है0 ग्राम गेण्डोली खुर्द का प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार हैं। तहसीलदार, रायथल द्वारा अवगत कराया हैं कि इस भूमि पर प्रार्थी